संख्या–320 / 9–आ–3–2000–127 काम्प / 99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
(2) आवास आयुक्त,
उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
(3) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 05 फरवरी, 2000

विषय :गंगा नदी तट पर बसे नगरों में किनारे से 200 मीटर तक किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ अनुमन्य न किये जाने के प्रतिबन्ध को शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2810 / 9–आ–1–98, दिनांक 23 सितम्बर, 1998 एवं शासनादेश संख्या–4503 / 9–आ–1–98, दिनांक 16 नवम्बर, 1998 की ओर आपका ध्यान आक ष्ट करते हुये मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेशों के प्रस्तर–2 में गंगा नदी तट पर बसे नगरों में किनारे से 200 मीटर तक किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ अनुमन्य न किये जाने का निर्णय लिया गया था। शासन द्वारा इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त प्रतिबन्ध को धार्मिक स्थलों, आश्रम एवं सार्वजनिक सुविधाओं के हित में किये जा रहे अन्य निर्माण कार्यों के लिये निम्नलिखित शर्तों के साथ शिथिल कर दिया जाय :–

(1) हरित पट्टी के अनुरूप भूखण्ड के 10 प्रतिशत से अधिक भाग पर निर्माण अनुमन्य न होगा। एफ0ए0आर0 15 प्रतिशत से अधिक न होगा परन्तु यदि महायोजना में इससे कम अनुमन्य है तो उतना ही अनुमन्य होगा।
(2) ड्रेनेज सीधे गंगा नदी में नहीं अवमुक्त किया जायेगा वरन् अन्य नालों आदि में ले जाने की व्यवस्था की जानी होगी।
(3) यदि क्षेत्र में सीवेज व्यवस्था नहीं है तो निवास स्थान / धर्मशाला आदि इन प्रयोजनों में अनुमन्य नहीं की जायेगी ताकि गंगा नदी में मल न जाने पाये।

उपर्युक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 23–9–98 एवं दिनांक 16–11–98 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या–320 / (1) / 9–आ–3–2000–127 काम्प / 99 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य अभियन्ता (गंगा) एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
2. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।